संख्याः 526/61–2011–61 (01)/2011.

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक 22 सितम्बर, 2011.

विषयः **वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में प्रदेश के जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के पदों के पदनाम व वेतनमान आदि निर्धारित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–401/दस–54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा लिये गये सामान्य निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला निर्वाचन कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन हेतु इस शासनादेश के संलग्न तालिका–1 के स्तम्भ–2, 3, 4 व 5 में उल्लिखित कमशः पदों के पदनाम, पदों की संख्या, वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा भर्ती की विधि/अर्हता को संलग्न तालिका–2 के स्तम्भ–2 के अनुसार पदों के पदनाम, स्तम्भ–3 के अनुसार पदों की संख्या स्तम्भ–4 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा स्तम्भ–5 के अनुसार भर्ती की विधि/अर्हता को दिनांक 18–3–2011 से संशोधित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

2– उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में आने वाले पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–841/दस–59 (एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3– तदनुसार संबंधित सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन शीघ्र करा लिया जायेगा।

——/2

4– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–695/दस–2011, दिनांक 20 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

उमेश सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या–526 (1)/61–2011–61 (01)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2.
(3) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12.
(4) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
(6) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(7) लेखाकार/कैशियर, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) बजट सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) वरिष्ठ विशेषज्ञ, सिस्टम, एन0आई0सी0, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–526/61–2011–61 (01)/2011 दिनांक 22 सितम्बर, 2011 का संलग्नक

तालिका–1

क0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन		भर्ती/पदोन्नति का स्रोत
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1	2	3	4		5
1.	वरिष्ठ लिपिक	299	वेतन बैण्ड–1 रु0 5200–20200	2400	5 वर्ष से अधिक सेवा वाले कनिष्ठ लिपिक के पदों से पदोन्नति द्वारा।
2.	कनिष्ठ लिपिक	275	वेतन बैण्ड–1 रु0 5200–20200	1900	जिला निर्वाचन कार्यालय के छटनीशुदा कर्मचारियों में से सीधी भर्ती द्वारा और यदि छटनीशुदा उपयुक्त पात्र कर्मचारी उपलब्ध न हों तो रिक्तियों को छटनीशुदा कर्मचारियों से भिन्न अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। परन्तु 15 प्रतिशत रिक्तियां कार्यालय के हाई स्कूल उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, समय–समय पर जारी सरकार के आदेशों के अनुसार, पदोन्नति द्वारा।

तालिका–2

क0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन		भर्ती/पदोन्नति का स्रोत
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1	2	3	4		5
1.	वरिष्ठ सहायक	299	वेतन बैण्ड–1 रु0 5200–20200	2800	05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति द्वारा।
2.	कनिष्ठ सहायक	275	वेतन बैण्ड–1 रु0 5200–20200	2000	80 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से। अर्हता–इण्टरमीडिएट के साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (**DOEACC**) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र अथवा "सरकार" द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। 1– 15 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो हाई स्कूल हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों, 2– 05 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कार्मिकों से पदोन्नति द्वारा जो इण्टरमीडिएट हों तथा टंकण ज्ञान रखते हों।

(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

4– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–695/दस–2011, दिनांक 20 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

उमेश सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या–526 (1)/61–2011–61 (01)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2.
(3) वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12.
(4) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।
(6) समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(7) लेखाकार/कैशियर, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) बजट सहायक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) वरिष्ठ विशेषज्ञ, सिस्टम, एन0आई0सी0, नवीन भवन, उ0प्र0 सचिवालय।
(10) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।